43

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन'

{कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवी लोक सभा) मे अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

तेंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर2022/अग्रहायण,1944 (शक)

तेंतालीसवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन'

{कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवी लोक सभा) मे अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया 20.12.2022

राज्य सभा के पटल पर रखा गया 20.12.2022

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर 2022 /अग्रहायण,1944 (शक)

सी.ओ.ए.स *455*

मूल्य: .....**रूपये**

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 **के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित**

विषय-सूची

पृष्ठ

'समिति की संरचना (2021–22) ..... (iii)
'समिति की संरचना (2022–23) ..... (v)
.प्राक्कथन . . . . . (vii)

अध्याय एक प्रतिवेदन. 1
अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है 17
अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती..... 36
अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं..... 37
अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं..... 48

अनुबंध

समिति की 08.08.2022 को हुयी 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश 49

परिशिष्ट

कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण..... 51

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* की संरचना (2021-22)

श्री पी. सी. गद्दीगौडर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजल अंसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेंद्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मांडवी
9. श्री किंजरपु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल
11. श्रीमति शारदाबेन अनिलभाई पटेल
12. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रहमानंदा रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रुडी
17. श्री मोहम्मद सादिक़
18. श्री वीरेंद्र सिंह
19. श्री वी.के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्यसभा

22. श्रीमति रमीलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव
27. रिक्त#
28. रिक्त#
29. रिक्त#
30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	**श्री शिव कुमार**	.	**अपर सचिव**
2.	**श्री सुन्दर प्रसाद दस**	.	**निदेशक**
3.	**श्री प्रेम रंजन**	.	**उप सचिव**

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. **श्री अफजाल अनसारी**
3. **श्री होरेन सिंह बे**
4. **श्री ए. गणेशमूर्ति**
5. **श्री कनकमल कटारा**
6. **श्री अबू ताहेर खान**
7. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु**
8. **श्री मोहन मण्डावी**
9. **श्री देवजी मनसिंहराम पटेल**
10. **श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल**
11. **श्री भीमराव बसवंतराव पाटील**
12. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील**
13. **श्री विनायक भाऊराव राऊत**
14. **श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी**
15. **श्री राजीव प्रताप रूडी**
16. **मोहम्मद सादिक**
17. **श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)**
18. **श्री वीरेन्द्र सिंह**
19. **श्री वी. के. श्रीकंदन**
20. **श्री राम कृपाल यादव**
*21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. **श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा**
23. **श्री मस्थान राव बीडा**
24. **डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे**
25. **श्री एस. कल्याणसुन्दरम**
26. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर**
27. **श्री कैलाश सोनी**
28. **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला**
29. **श्री राम नाथ ठाकुर**
30. **श्री वाइको**
31. **श्री हरनाथ सिंह यादव**

---

* **दिनांक** 14.10.2022 **के बुलेटिन- भाग** II, **पैरा संख्या** 5316 **द्वारा** 10.10.2022 **को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।**

सचिवालय

1.	**श्री शिव कुमार**	**-**	**अपर सचिव**
2.	**श्री नवल के. वर्मा**	**-**	**निदेशक**
3.	**श्री उत्तम चंद भारद्वाज**	**-**	**अपर निदेशक**
4.	**श्री प्रेम रंजन**	**-**	**उप सचिव**

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन' विषय पर उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह तेंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ|

2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का उनतीसवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई संबंधी टिप्पण 24.01.2022 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 08.08.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है |

नई दिल्ली;
08 अगस्त, 2022
17 श्रावण, 1944 (शक)

पी सी गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण
संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – एक मूल्यांकन' विषयक कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे दिनांक 10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) ने इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 14 टिप्पणियों/ सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सौंप दिया है। इन उत्तरों को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया है:

(i) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश संख्या 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12 और 14 **कुल - 08**
अध्याय- दो

(ii) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफारिश संख्या 13 **कुल - 01**
अध्याय- तीन

(iii) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफारिश संख्या 5, 7, 8 और 9 **कुल - 04**
अध्याय- चार

(iv) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश संख्या 2 **कुल - 01**
अध्याय- पांच

1.3 समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां विभाग के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को

अक्षरश: लागू करना संभव नहीं है, इस मामले को कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई संबंधी नोट और अध्याय-V में अंतर्विष्ट सिफारिशों के लिए की गई अंतिम कार्रवाई के उत्तर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

1.4 अब समिति अनुवर्ती पैराओं में कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विचार करेगी।

क. बीमा कंपनियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

सिफ़ारिश (क्र.सं.5)

1.5 समिति ने यह टिप्पणी/सिफ़ारिश की:-

" समिति नोट करती है कि पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का प्रावधान है, जैसे कि एल-1 होने के बाद बोलियों को वापस लेना, ऋण और गैर ऋण किसानों का नामांकन, निर्धारित अवधि के भीतर दावों का निपटान, जिला कार्यालय और मानव संसाधन, बोली भागीदारी, पुस्तिका तैयार करना, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि, सीसीई सह-पालन, स्थानीयकृत नुकसान/फसल कटाई के बाद का दावा आदि। समिति को सूचित किया गया है कि विभाग पैनल में शामिल बीमा कंपनियों में, संबंधित मौसम के पूरा होने के बाद आईसी के लिए जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्र की जा रही है। यह भी सूचित किया गया है कि विशेष रूप से जमीनी स्तर पर जनशक्ति (मैनपावर)/अवसंरचना की तैनाती और दावों के भुगतान में विलंब के संबंध में कुछ कमियां पाई गई हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण/कार्यवाही शुरू की गई है। समिति को यह विचित्र लगता है कि आईसी के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के प्रावधान के बावजूद, विभाग इस योजना की स्थापना के बाद से किए गए मूल्यांकन का विशिष्ट ब्यौरा प्रदान करने में विफल रहा है। समिति की यह इच्छा है कि विभाग एक समय सीमा तैयार करे और नियमित आधार पर बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन करे और इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराए। "

1.6 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में यह कहा है:-

"किसानों को लागत प्रभावी और कुशल बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के कौशल प्रतिबद्धता और दक्षता का पता लगाने के माध्यम से कम से कम दो फसल मौसमों अर्थात खरीफ और रबी सहित प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल के पूरा होने पर योजना के पुर्नोत्थान परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के संबंधित नोडल विभाग द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी है। इस प्रयोजन के लिए, एक विस्तृत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स तैयार किया गया है जिसमें निर्धारित भारांक के साथ प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक शामिल हैं और जैसा कि परिचालन दिशानिर्देशों के अनुबंध चार में दिया गया है। मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला आधार डाटा एनसीआईपी से निकाला जा सकता है। नोडल विभाग को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी के साथ उनकी टिप्पणियों और पुष्टि के लिए साझा करनी होती है। प्रत्येक बीमा कंपनी को अपने विचार प्रस्तुत करने और वैध डेटा/प्रमाणों के साथ अपनी टिप्पणियों को प्रमाणित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। नोडल विभाग बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे अतिरिक्त डेटा/प्रमाणों का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

एक बार कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और केंद्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, मंत्रालय द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के साथ-साथ राज्य के नोडल विभाग द्वारा भी इसी तरह की कार्रवाई की जानी है।

इस संबंध में किसी भी राज्य से वर्ष 2020-21 का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य को पत्र लिख रहा है।

तथापि, संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत कुछ कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और इनमें से अधिकांश कंपनियों ने आने वाले वर्षों में बोली में भाग लेना जारी रखने का आश्वासन दिया है।"

1.7 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभाग इस योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान के बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत के बाद से किए गए बीमा कंपनियों (आईसी) के निष्पादन मूल्यांकन के विशिष्ट ब्योरे प्रदान करने में विफल रहा है,

समिति ने विभाग से समय-सीमा तैयार करने और नियमित आधार पर बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की इच्छा व्यक्त की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में बताया है। तथापि, विभाग इस मुद्दे पर मौन है कि क्या आईसी के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है और योजना की शुरुआत के बाद से इसके लिए समय-सीमा का पालन किया जा रहा है। विभाग ने केवल यह कहा है कि वह आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्यों को लिख रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा है कि संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोली प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए कुछ कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और इनमें से अधिकांश कंपनियों ने आने वाले वर्षों में बोली में भाग लेना जारी रखने का आश्वासन दिया है।

समिति अपनी सिफारिशों का स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करने में विभाग के रवैये को बहुत गंभीरता से लेती है और अपनी पहले की सिफारिशों को दोहराती है और विभाग से चाहती है कि वह समय-सीमा तैयार करे और नियमित आधार पर बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करे।

ख. **<u>किसानों का कवरेज</u>**

सिफ़ारिश (क्र.सं. 7)

1.8 समिति ने यह टिप्पणी/सिफ़ारिश की:-

" समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने खरीफ 2020 से सभी किसानों (ऋणी/गैर ऋणी) के लिए योजना को वैकल्पिक बना दिया है। किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा का लाभ उठाने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान बीमा कंपनी के निकटतम बैंक-शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/सीएससी/बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं या सीधे अंतिम तिथि के भीतर एनसीआईपी पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं और साथ ही एजेंसी को आवश्यक

दस्तावेज और संबंधित उपयुक्त प्रीमियम अपलोड/जमा कर सकते हैं। जबकि मौजूदा ऋणी किसान जो योजना के तहत कवर नहीं होना चाहते हैं, उनके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय संबंधित मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक शाखाओं को अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करके योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प है । उन सभी ऋणी किसानों, जो घोषणा प्रस्तुत नहीं करते हैं, अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। समिति का यह सुविचारित मत है कि हालांकि ऋणी किसान घोषणा पत्र जमा करके योजना से बाहर निकल सकते हैं लेकिन अधिकांश किसान इस प्रावधान के बारे में अनभिज्ञ हैं और राशि उनके खाते से अनिवार्य रूप से काट ली जाती है। इसलिए समिति विभाग से इस प्रावधान में बदलाव करने की सिफारिश करती है और यह प्रावधान करती है कि केवल उन्हीं ऋणी किसानों को कटौती के लिए अपेक्षित प्रपत्र भरना आवश्यक होगा जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ऋणी किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही समिति की यह राय है कि कवर किए गए किसानों को उनके पंजीकरण, प्रीमियम की कटौती आदि के बारे में उन्हें प्रत्येक चरण के बारे में सूचित करने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से चरण-वार अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए। "

1.9 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में यह कहा है:-

" उपरोक्त प्रावधान विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान प्रशासनिक चुनौती को देखते हुए किया गया है। किसानों को इस प्रावधान के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार और जागरूकता अभियान सहित गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोडेड पावती रसीद जिसमें बीमित फसलों, क्षेत्र, बीमित राशि, एकत्रित प्रीमियम, योजना की संक्षिप्त विशेषताओं के साथ सब्सिडी राशि और बीमा कंपनियों/शिकायत निवारण अधिकारी आदि के संपर्क विवरण आदि का विवरण सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से या सीधे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन - www.pmfby.gov.in। किसानों को मौके पर उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों के माध्यम से नामांकित किसानों को आगे वितरण के लिए बैंकों को उनके लॉग इन पेज पर पीडीएफ प्रारूप में पावती रसीद प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना के तहत ऋणी किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा अंतर्देशीय पत्र के रूप में पावती रसीद भी

पोस्ट की जाती है। इसके अलावा, किसानों को किसान पोर्टल/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से एसएमएस द्वारा भी सूचित किया जाता है। बीमित किसान एनसीआईपी और मोबाइल आधारित फसल बीमा ऐप पर भी अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। "

1.10 समिति ने अपनी सिफारिश में विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्रावधान को बदलने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके लिए मौजूदा ऋणी किसान, जो इस योजना के तहत कवर नहीं होना चाहते हैं, को वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन संबंधित मौसम के लिए किसानों के नामांकन के लिए कट-ऑफ तारीख से कम से कम सात दिन पहले ऋण मंजूरी देने वाली बैंक शाखाओं के लिए अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और उन सभी ऋणदार किसानों को जो घोषणा प्रस्तुत नहीं करते हैं, अनिवार्य रूप से योजना के तहत कवर किया जाएगा; और यह उपबंध करें कि केवल उन्हीं ऋणी किसानों को जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कटौती के लिए अपेक्षित प्रपत्र भरना होगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऋणी किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती नहीं की जानी चाहिए चूंकि सरकार ने खरीफ 2020 से सभी किसानों (ऋणी/ गैर-ऋणी) के लिए योजना को वैकल्पिक बना दिया है। समिति ने किसानों के पंजीकृत मोबाइल फोनों पर एसएमएस के माध्यम से उनके पंजीकरण, प्रीमियम की कटौती आदि के बारे में चरण-वार अपडेट के लिए कवर किए गए किसानों को एक तंत्र उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की थी ताकि उन्हें प्रत्येक चरण के बारे में सूचित किया जा सके। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तरों में किसानों को इस प्रावधान के बारे में जागरूक करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया है और इस योजना के तहत उपलब्ध और कार्यात्मक तंत्र के बारे में भी बताया है ताकि किसानों को उनके पंजीकरण, प्रीमियम की कटौती आदि के बारे में सूचना और अपडेट प्राप्त हो सके। तथापि, विभाग इस उपबंध को बदलने के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से मौन है जिसके लिए ऋणी किसानों को ऋण संस्वीकृत करने वाली बैंक शाखाओं के लिए अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है यदि वे इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहते हैं। समिति को इस प्रावधान

में परिवर्तन के मुद्दे पर विभाग की चुप्पी काफी परेशान करने वाली लगती है और यह विभाग के कार्यकरण पर भी खराब प्रभाव डालती है। समिति ने विभाग द्वारा ढुलमुल तरीके का उत्तर दिए जाने की निंदा करते हुए विभाग को बिना किसी देरी के इस उपबंध में परिवर्तन करने की बात दोहराई है और यह उपबंध किया है कि केवल उन्हीं ऋणी किसानों को कटौती के लिए अपेक्षित प्रपत्र भरना होगा जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं ताकि ऋणी किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती न हो।

ग. दावों के निपटान में विलंब

सिफ़ारिश (क्र.सं.8)

1.11 समिति ने यह टिप्पणी/सिफ़ारिश की:-

" समिति ने यह नोट किया है कि पीएमएफबीवाई के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं में से एक दावों के निपटान में विलंब है। समिति को यह सूचित किया गया है कि दावों के निपटान में विलंब मुख्य रूप से उपज आंकड़ों के विलंबित पारेषण; कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता और/अथवा उपज आंकड़ों में उनके हिस्से की देरी से रिलीज, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, दावों के अंतरण के लिए कुछ किसानों के खाते के ब्यौरे प्राप्त न होने और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दों आदि जैसे कारणों से होता है। इसके अतिरिक्त, दावों के निपटान में विलंब के लिए बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान के लिए निर्धारित निर्दिष्ट तारीख के 10 दिनों से अधिक के लिए किसानों को 12% प्रतिवर्ष की दर से शास्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। जबकि, राज्य सरकार निर्धारित निर्दिष्ट तारीख के तीन महीने से अधिक की सब्सिडी के राज्य के हिस्से को जारी करने/बीमा कंपनियों द्वारा मांग प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा। तथापि, विभाग दावों के समय पर निपटान सहित पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। समिति विभाग द्वारा किए गए विलंब के लिए उद्धृत कारणों से आश्वस्त नहीं है और उनका विचार है कि दावों के निपटान में विलंब के जो भी कारण हों, अंततः देश के किसान ही पीड़ित हैं। किसान पीएमएफबीवाई के तहत बीमा योजना का लाभ इस उम्मीद के साथ उठाते हैं कि यह संकट के समय में नुकसान को कम करने में मदद करेगा। लेकिन दावों के निपटान में विलंब इस योजना के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। समिति का यह मानना है कि दावों के निपटान में विलंब किसी

भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, विभाग को इस योजना को और अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख बनाने और यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि सभी संस्थागत तंत्र मिलकर काम करें ताकि किसानों का पंजीकरण, सीसीई का संचालन, दावों का निपटान आदि बाधा मुक्त और किसान-अनुकूल हो सके। किसी भी समय-सीमा के अभाव में जिसके भीतर दावों का निपटान बीमा कंपनियों (आईसी) द्वारा किया जाना है, किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया जाता है और लंबी अदालती प्रक्रियाएं उनके कष्टों को और बढ़ाती हैं। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि आईसी के लिए उनके दावों के निपटान के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाए और समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में बीमा कंपनियों को दंडित किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जब विलम्ब का कारण राज्य द्वारा राजसहायता का भुगतान न करना है, तो किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए समग्र उपायों से अवगत होना चाहती है।"

1.12 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में यह कहा है :-

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में पहले से दी गई समय-सीमा के अनुसार स्वीकार्य दावों का भुगतान सामान्य रूप से संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के दो महीने के भीतर और संरक्षित बुवाई, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और फसल कटाई के बाद के नुकसान के जोखिम/खतरों के संबंध में अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकार से प्रीमियम राजसहायता के राज्य हिस्से की समय पर प्राप्ति के अध्यधीन है। हालांकि, कुछ राज्यों में दावों के निपटान में निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है:–

- संबंधित राज्यों द्वारा राजसहायता का राज्य हिस्सा जारी करने में देरी
- दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों को उपज डाटा साझा करने में देरी
- एनईएफटी अस्वीकृति के कारण भुगतान विफलता सहित अन्य कारण
- दावा प्रक्रियाधीन

राजसहायता के राज्य हिस्से को जारी करने में देरी के कारण लंबित दावों का राज्यवार विवरण *(खरीफ 2016 से रबी 2020-21 तक)* नीचे प्रस्तुत किया गया है –

करोड़ रुपये में

राज्य	लंबित राज्य राजसहायता	राज्य राजसहायता के कारण लंबित दावे
महाराष्ट्र	1,291.6	694.6
तमिलनाडु	914.2	115.0
गुजरात	859.5	258.8
तेलंगाना	468.5	951.2
झारखंड	362.5	659.4
अन्य	705.56	329.1
कुल	**4601.86**	**3008.1**

दिनांक 27.12.2021 की स्थिति के अनुसार

दावों की जल्द से जल्द गणना के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता का राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना और उपज डाटा/फसल नुकसान आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता का राज्य हिस्सा समय पर जारी करना और उपज डाटा/फसल नुकसान आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना:
- राजसहायता के राज्य हिस्से को जारी करने में देरी के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से दंड का प्रावधान करना। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद अर्थात खरीफ मौसम के लिए मार्च के अंत में और रबी मौसम के लिए अक्तूबर में नामांकन करने हेतु राजसहायता जारी करने में देरी के मामले में राज्यों को योजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान करना।
- राज्यों द्वारा उपज डाटा उपलब्ध कराने में विलंब के मामले में प्रौद्योगिकी आधारित उपज प्राप्त होने पर दावों का निपटान करना।
- उपज डाटा प्राप्त होने के एक महीने के बाद बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में विलंब के लिए 12% की दर से दंड का भुगतान करना।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और राज्यों को इसे अपनाने के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करना।
- सभी हितधारकों और गतिविधियों को एक आईसीटी मंच में एकीकृत करके योजनाओं के समग्र प्रशासन के लिए फसल बीमा पोर्टल।

- पोर्टल पर सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के डाटा का तत्काल हस्तांतरण करना। स्मार्टफोन का उपयोग करके सीसीई डेटा के हस्तांतरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।"

1.13 दावों के निपटान में देरी के कारण किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए समिति ने विभाग से सिफारिश की थी कि इस योजना को और अधिक प्रौद्योगिकी चालित बनाने और यह सुनिश्चित करने कि सभी संस्थागत तंत्र मिलकर काम करें ताकि किसानों का पंजीकरण, सीसीई का संचालन, दावों का निपटारा आदि बाधा रहित और किसान हितैषी बन सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बीमा कंपनियों (आईसी) के लिए उनके दावों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए और समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में बीमा कंपनियों को दंडित किया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जब विलंब का कारण राज्य द्वारा राजसहायता का भुगतान नहीं करना है, तो किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को एक निश्चित समय सीमा के भीतर ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में कहा है कि दावों के निपटान के लिए समय-सीमा पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में पहले ही दी जा चुकी है। तथापि, कुछ राज्यों में दावों के निपटान में विभिन्न कारणों से विलम्ब हो रहा है जैसे - संबंधित राज्यों द्वारा राजसहायता के राज्य हिस्से को जारी करने में विलंब; दावों की गणना के लिए बीमा कंपनियों को राज्यों द्वारा उपज डेटा साझा करने में विलंब; राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) अस्वीकृति के कारण भुगतान विफलता; और प्रक्रिया के तहत दावे। विभाग ने प्रीमियम राजसहायता के राज्य हिस्से को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने और दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र उपज आंकड़े/फसल हानि मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में भी कहा है, जिनके बारे में समिति को पहले से ही जानकारी है। तथापि, समिति इस बात से व्यथित है कि विभाग ने इस सिफारिश पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जब विलम्ब का कारण राज्य द्वारा राजसहायता का भुगतान न करना है, तो किसानों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम एक निश्चित समय के भीतर ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। इसलिए

समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है कि जब विलंब का कारण राज्य द्वारा राजसहायता का भुगतान नहीं करना है, तो किसानों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम एक निश्चित समय सीमा के भीतर ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। समिति यह भी चाहती है कि विभाग समिति की सिफारिशों का स्पष्ट और सुनिश्चित उत्तर प्रस्तुत करे।

घ. शिकायत निवारण समितियां

सिफ़ारिश (क्र.सं. 9)

1.14 समिति ने यह टिप्पणी/सिफ़ारिश की:-

"समिति ने नोट किया है कि योजना के संशोधित परिचालन दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) जैसे स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र का किसानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, जिला प्राधिकरण/विभाग की शिकायतों के निवारण के लिए रबी मौसम 2018-19 सीजन से प्रावधान किया गया है और इसे पुर्नोत्थान परिचालन दिशा-निर्देशों में और मजबूत किया गया है। तदनुसार 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्यों में जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को अधिसूचित किया है। तथापि, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने जमीनी स्तर पर शिकायतों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एसजीआरसी और डीजीआरसी के अलावा तालुक स्तर की जीआरसी भी तैयार की है। समिति ने यह भी नोट किया है कि डीजीआरसी के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर होते हैं और किसानों के प्रतिनिधि, प्रमुख जिला प्रबंधक (एलडीएम)/बैंक, जिला विकास प्राधिकरण (डीडीएम), नाबार्ड, बीमा कंपनी और संबंधित जिला प्राधिकरण/विभाग (जैसे कृषि/बागवानी/सहकारी/राजस्व/कृषि सांख्यिक, आदि) को सदस्य नियुक्त किया जाता है। डीजीआरसी यदि आवश्यक समझा जाता है तो विश्वविद्यालय/आईएमडी/कमोडिटी बोर्डों/अनुसंधान संस्थाओं, एसआरएसएसी, आदि के विषय विशेषज्ञों/विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकता है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के खंडों के अनुपालन में शेष सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों के गठन को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे ताकि उनके बीमा दावों को अस्वीकृत, भुगतान में देरी आदि के संबंध में किसानों की शिकायतों का समाधान

किया जा सके। समिति संबंधित हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और किसानों के बीच योजना की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) में स्थानीय जनप्रतिधियों (एमपी/विधायक आदि) को नामित करने के लिए विभाग को सिफारिश करती है।"

1.15 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में यह कहा है:-

"किसानों और अन्य हितधारकों के बीच पीएमएफबीवाई द्वारा अपनाए गए स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। तदनुसार, कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने शिकायत निवारण समितियों के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसमें शिकायत निवारण समितियों में सौंपे गए पदाधिकारियों की प्रकृति, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें शिकायतों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है। लगभग 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है और अधिसूचना जारी की है। शेष कार्यान्वयक राज्यों को भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस संबंध में प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जीआरसी के गठन की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**एसजीआरसी**	**डीजीआरसी**
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
4.	असम	हां	हां
5.	बिहार	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
6.	चंडीगढ़	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
7.	छत्तीसगढ़	हां	हां
8.	दादर नगर हवेली और दमन दीव	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
9.	दिल्ली	योजना को लागू नहीं कर रहा है	

10.	गोवा	हां	नहीं
11.	गुजरात	हां	हां
12.	हरियाणा	हां	हां
13.	हिमाचल प्रदेश	हां	कुछ जिलों का गठन किया गया है
14.	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	नहीं
15.	झारखंड	हां	हां
16.	कर्नाटक	हां	हां
17.	केरल	हां	नहीं
18.	लद्दाख	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
19.	लक्षद्वीप	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
20.	मध्य प्रदेश	हां	हां
21.	महाराष्ट्र	हां	हां
22.	मणिपुर	नहीं	नहीं
23.	मेघालय	हां	हां
24.	मिजोरम	नहीं	नहीं
25.	नागालैंड	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
26.	ओडिशा	हां	हां
27.	पंजाब	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
28.	पुदुचेरी	नहीं	हां
29.	राजस्थान	हां	हां
30	सिक्किम	नहीं	नहीं
31.	तमिलनाडु	हां	हां
32.	तेलंगाना	हां	हां
33.	त्रिपुरा	हां	हां
34.	उत्तराखंड	हां	हां
35.	उत्तर प्रदेश	हां	हां
36.	पश्चिम बंगाल	योजना को लागू नहीं कर रहा है	

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार निवारण की गई शिकायतों की संख्या और निवारण हेतु लंबित शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**चालू वर्ष में समितियों द्वारा समाधान की गई शिकायतों की सं०**	**राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति में लंबित शिकायतों की सं०**
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	10	08
4.	गोवा	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	37454	5522
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	शून्य	शून्य
8.	केरल	शून्य	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	सटीक संख्या नहीं दी गई	4
10.	महाराष्ट्र	1	1
11.	मेघालय	शून्य	शून्य
12.	ओडिशा	78	10
13.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	1	शून्य
16.	तेलंगाना	शून्य	शून्य
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
18.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य
19.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य

जीआरसी पर अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जाती है और किसानों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए आसपास के क्षेत्र में प्रसारित और प्रदर्शित की जाती है। जीआरसी अधिसूचना की प्रतियां कार्यान्वयन विभागों, बैंकों, पंचायती राज संस्थानों, सामान्य सेवा केंद्रों और बीमा कंपनियों के नोटिस बोर्डों में भी प्रदर्शित की जाती हैं। यह देखा गया है कि पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने वाले अधिकांश बड़े राज्यों में जीआरसी कार्यात्मक हैं और पीएमएफबीवाई के ओजी के अनुसार शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एक निश्चित, अनुकूलित चैनल है। किसानों के प्रतिनिधियों को पहले ही जीआरसी में शामिल किया जा चुका है।

राज्य सरकारों को इन समितियों द्वारा समाधान की गई शिकायतों के प्रकार संबंधी रिकॉर्ड डाटा/रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा गया है।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) द्वारा पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाती है के अलावा 'दिशा' की बैठकों में भी योजना की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह 'दिशा' में शिकायत निवारण समितियों (अर्थात जिला और ब्लॉक स्तर दोनों) की प्रगति/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।"

1.16 समिति ने विभाग से यह सिफारिश की थी कि वह सभी शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के खंडों के अनुपालन में विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों का गठन सुनिश्चित करे ताकि उनके बीमा दावों को अस्वीकार करने, भुगतान में विलंब आदि के संबंध में किसानों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। समिति ने विभाग को जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) में स्थानीय प्रतिनिधियों (एमपी(एस)/एमएलए (एस) आदि) को नामित करने की भी सिफारिश की थी ताकि संबंधित हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और किसानों के बीच योजना की स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में बताया है कि किसानों और अन्य हितधारकों के बीच पीएमएफबीवाई द्वारा अपनाए गए स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। लगभग 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य और जिला स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों का गठन कर उन्हें अधिसूचित किया है। शेष कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को भी विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इस संबंध में प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जीआरसी के गठन की स्थिति के संबंध में भी सूचना दी है और निपटाई गई शिकायतों/शिकायतों की संख्या और निवारण के लिए लंबित शिकायतों की संख्या का राज्य-वार ब्योरा भी प्रस्तुत किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) द्वारा पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के साथ-साथ, जिला विकास समन्वय और

निगरानी समितियों (दिशा) की बैठकों में भी इस योजना की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह शिकायत निवारण समितियों (अर्थात् जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों) की प्रगति/रिपोर्ट दिशा में प्रस्तुत करे। तथापि, समिति ने नोट किया है कि विभाग जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) में स्थानीय जन प्रतिनिधियों (एमपी(एस)/एमएलए (एस) आदि) को नामित करने पर मौन है। समिति ने किसानों की शिकायतों के समाधान हेतु विभिन्न कदम उठाने के लिए विभाग की सराहना करते हुए संबंधित हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और किसानों के बीच योजना की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) में स्थानीय जन प्रतिनिधियों (एमपी (एस)/एमएलए (एस) आदि को नामित करने के लिए विभाग के समक्ष अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराया।

अध्याय -दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत प्रावधान

सिफारिश क्रम संख्या 1

समिति नोट करती है कि-बुवाई से पहले और कटाई के बाद तक ना रोकी जा सकने वाली सभी प्रकृतिक आपदाओं और पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के संबंध में किसानों को फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने हेतु एक सरल और सस्ता फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रैल, 2016 में शुरू की गई थी।इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रचालन दिशानिर्देशो (ओजी) का एक विस्तृत सेट जारी किया गया था जिसे संशोधित किया गया था और संशोधित ओजी को 1अक्तूबर, 2018 से यानि रबी, 2018-19 सीजन से लागू किया गया था। बाद में पीएमएफबीवाई का संशोधन किया गया और खरीफ, 2020 के मौसम से संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देश लागू किये गये। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य पीएमएफबीवाई के तहत अधिक फसली क्षेत्र लाना है। हालांकि समिति की सुविचारित राय है कि संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के 'दो प्रावधान (क) निर्धारित समय सीमा से अधिक राजसहायता जारी करने में देरी करने वाले राज्य आगामी मौसमों में भाग नहीं ले सकते और (ख) प्रीमियम राजसहायता का अपेक्षित केंद्रीय हिस्सा (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 50:50) सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत और गैर सिंचित क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत तक क्षेत्रों/फसलों हेतु प्रदान किया जाएगा और राज्यों को सिंचित के लिए 25 प्रतिशत से अधिक और गैर सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 30 प्रतिशत से अधिक सकल प्रीमियम दर वाले क्षेत्रों/फसलों के लिए पूरी राजसहायता वहन करनी होगी। इस कारण राज्य इस योजना से पीछे हट सकता है। अत: समिति यह चाहती है कि विभाग संशोधित प्रचालान दिशा-निर्देशों के उपरोक्त दो प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे ताकि राज्य इस योजना से पीछे न हटे।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आम तौर पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई)/फसल कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीने के भीतर और निवार्य बुवाई के जोखिम/खतरों को लागू करने, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और फसल कटाई के बाद के नुकसान के लिए अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकार से प्रीमियम राजसहायता के राज्य हिस्से की समय पर प्राप्ति के अधीन है । तथापि, कुछ राज्यों में दावों के निपटारे में निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है -

- संबंधित राज्यों द्वारा राजसहायता का राज्यांश जारी करने में देरी
- दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों को उपज डेटा साझा करने में देरी
- एनईएफटी अस्वीकृति के कारण भुगतान विफलता सहित अन्य कारण
- दावा प्रक्रियाधीन

दावों के लम्बित रहने का प्रमुख कारण (70% से अधिक) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राजसहायता के अपेक्षित राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी है, जो 2822 करोड़ ₹ (84%) के दावों के निपटान के लंबित पत्राचार के साथ खरीफ 2016 से रबी 2020-21 की अवधि के लिए 4690 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को किसानों की बेहतरी के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपना हिस्सा जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों में उक्त प्रावधान शामिल किया गया है।

सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25% तक और असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 30% तक सकल प्रीमियम दर वाले क्षेत्रों/फसलों के लिए प्रीमियम राजसहायता के केंद्रीय हिस्से के प्रावधान के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि बीमा के लिए फसलों के चयन में अनुशासन लाने और राज्यों को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए इस प्रावधान को संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है। पृष्ठभूमि में यह कहा गया है कि यह देखा गया है कि योजना के तहत दावों और लाभों का वितरण बहुत ही विषम है, कुछ जिला-फसल संयोजनों में दावा पुनरावर्ती का अनुभव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप फसल बीमा योजनाओं के तहत प्रीमियम दर उच्च हो गई है। यह भी देखा गया है कि जिले में उच्च कवरेज क्षेत्र वाली कुछ फसलों में उच्च दावों का अनुभव होता है। यह अनुमान है कि या तो बड़े पैमाने पर चयन विरोधी

मुद्दे मौजूद हैं या उनके कृषि-जलवायु क्षेत्रों और फसल के नुकसान को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अनुसार अधिक व्यवहार्य फसलों की खेती की आदत को बढ़ावा देने के प्रयास की आवश्यकता है। उपरोक्त में से किसी भी मामले में, सरकारी राजसहायता का सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि क्या उस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य कम जोखिम वाली फसल उपलब्ध है जहां वर्तमान में किसानों द्वारा उच्च जोखिम वाली फसलें उगाई जा रही हैं। विभिन्न आपूर्ति-मांग परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन आदि के अनुसार विभिन्न फसलों की उत्पादन आवश्यकता के कारण इस रणनीति पर विचार किये जाने की जरूरत हो सकती है।

तदनुसार, सबसे कमजोर जिलों के लिए प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन में प्रचालन संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) को एक अध्ययन सौंपा गया है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस 79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>पीएमएफबीवाई से राज्यों का हटना</u>

सिफारिश क्रम संख्या 3

फसल बीमा कवर के तहत अधिक जोखिमों को शामिल करने और किसानों के लिए इसे और अधिक समझने योग्य और किफायती बनाने के लिए पहले की योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएसएएस) को वापिस लेने के बाद प्रमुख योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) दिनांक 01.04.2016 को शुरू की गई थी। पंजाब ने शुरू से ही इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल क्रमश: खरीफ 2018 और खरीफ 2019से पीएमएफबीवाई से बाहर हो गए है। इसके अतिरिक्त आंध्रप्रदेश,गुजरात,तेलंगाना और झारखंड ने भी 2020 में इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है। जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किया गया है,राज्य सरकारों की वित्तीय बाध्यताएं और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात राज्यों द्वारा इस योजना को कार्यान्वित न किए जाने के प्रमुख

कारण हैं। यद्यपि योजना से हटने वाले अधिकांश राज्य अपनी योजना चला रहे हैं, समिति का विचार है कि बाद के वर्षों में अधिक राज्यों द्वारा पीएमएफबीवाई को योजना से हटने से/कार्यान्वित न किए जाने से इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए योजना शुरू की गई थी। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह पंजाब,बिहार,पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश,गुजरात,तेलंगाना और झारखंड द्वारा पीएमएफबीवाई को योजना से हटने/ कार्यान्वित न करने के कारणों/कारकों की उचित जांच करे और उपयुक्त कदम उठाए ताकि राज्य इस योजना को कार्यान्वित करते रहें और किसान इस योजना को लाभ उठाएं।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है और27राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक या अधिक मौसमों में पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस कार्यान्वित की है।

पीएमएफबीवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है और वे अपनी जोखिम धारणा और वित्तीय विचारों आदि को ध्यान में रखते हुए योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय ले सकते हैं।

कुछ राज्यों ने विभिन्न कारणों,मुख्य रूप से समय पर राज्य का राजसहायता का हिस्सा प्रदान करने में से वित्तीय दबावों के कारण योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है। इन राज्यों का विवरण और योजना से बाहर होने के कारणों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	कब से योजना से बाहर हुए	योजना से बाहर होने का कारण	स्वयं की फसल बीमा/सहायता योजना का नाम	कब से कार्यान्वित की गई
आंध्र प्रदेश	रबी 2019-20	वित्तीय	डॉ. वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना	रबी 2019-20
बिहार	खरीफ 2018	वित्तीय	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	खरीफ 2018
गुजरात	खरीफ 2020	वित्तीय	मुख्यमंत्री सहाय योजना	खरीफ 2020
झारखंड	खरीफ 2020	वित्तीय	झारखंड फसल राहत योजना	विचाराधीन
तेलंगाना	खरीफ 2020	वित्तीय	कोई योजना नहीं	-
पश्चिम बंगाल	खरीफ 2019	योजना का नाम	बांग्ला शश्य बीमा योजना	खरीफ 2019

तथापि, उपरोक्त योजनाएं पीएमएफबीवाई की तुलना में किसानों को जोखिम और लाभों का सीमित कवरेज प्रदान कर रही हैं।

राज्य सरकार सहित हितधारकों के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस की लगातार समीक्षा की जाती है और योजना के फ्रेमवर्क/दिशानिर्देशों में तदनुसार सुधार किए जाते हैं। दो वर्षों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से रबी 2018-19 मौसम से योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के देर से निपटान और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करने पर 12% दंडात्मक ब्याज का प्रावधान प्रमुख परिवर्तन थे।

पीएफएमबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस को खरीफ 2020 सीजन से संशोधित किया गया है। प्रमुख समावेश योजना को ऋणी के लिए अनिवार्य और गैर-ऋणी के लिए स्वैच्छिक के बजाय सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाना, जोखिम और बीमित राशि चुनने के लिए राज्य के लिए अधिक लचीलापन और उपज मूल्यांकन आदि में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना है। किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए और राज्यों को अधिक फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु प्रेरित करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सब्सिडी साझा करने का पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों में 50:50 के स्थान पर 90:10 में बदल गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि ने प्रीमियम दरों में वृद्धि जैसी चिंताओं के मुद्दे को उठाया है जैसे कि प्रीमियम सब्सिडी में उनका हिस्सा और पीएमएफबीवाई के तहत 80%-110% के "कप और कैप" मॉडल जैसे "वैकल्पिक मॉडल" और 80%: 20% का सह-बीमा मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है। इसके बाद, 80%-110% के कप और कैप मॉडल को खरीफ 2020 से तीन साल के लिए महाराष्ट्र के बीड जिले और मध्य प्रदेश राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कार्यान्वित करने के लिए 80:20 के सह-बीमा/जोखिम साझाकरण मॉडल को तमिलनाडु राज्य में राज्य और बीमा कंपनी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में अनुमोदित किया गया था क्योंकि ये राज्य निविदा प्रक्रिया में बीमा कंपनियों की पर्याप्त भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

सरकार नियमित रूप से योजना को कार्यान्वित न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन राज्यों के किसानों के लाभ के लिए योजना में भाग लेने हेतु विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रयास कर रही है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, राज्यों द्वारा योजना के गैर-कार्यान्वयन के प्रावधान, जो समय के भीतर सब्सिडी के राज्य हिस्से को जारी करने में चूक कर रहे हैं, को अब तक प्रभावी नहीं बनाया गया है और सभी राज्यों को योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह विभाग नियमित रूप से ऐसे राज्यों को उच्चतम स्तर पर सब्सिडी समय पर जारी करने के लिए भी राजी कर रहा है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>जिला/तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय</u>

सिफारिश संख्या 4

समिति ने नोट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू करने वाली बीमा कंपनियों (आईसी) को प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर एक कार्यात्मक कार्यालय खोलना,आबंटित जिलों में ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक एजेंट की तैनाती और प्रत्येक जिले में एक कृषि स्नातक की तैनाती करनी होती है। हालांकि समिति का मानना है कि पीएमएफबीवाई को लागू करने वाली बीमा कंपनियों (आईसी) के कार्यालय और अधिकारी कईं जिलों में तहसील स्तर पर न के बराबर हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को परेशानी होती है। इसलिए किसानों के व्यापक हित मेंसमिति विभाग से पीएमएफबीवाई को लागू करते हुए प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर एक कार्यात्मक कार्यालय खोलना सुनिश्चित करने और इन कार्यालयों में आईसी के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश करती है ताकि किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/कठिनाइयों को दूर किया जा सके और किसानों को योजना का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान की जा सके। समिति यह सिफारिश भी करती है कि विभाग प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर पीएमएफबीवाई को लागू करने वाले आईसीएस के कार्यात्मक कार्यालयों के पते,तैनात अधिकारी (अधिकारीयों) के नाम और संपर्क नं. का अद्यतन ब्यौरा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनएसआईपी) पर नियमित आधार पर अपलोड करे।

सरकार का उत्तर

योजना का कार्यान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों को समय-समय पर तहसील स्तर पर कार्यालय खोलने के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। विभाग रबी2020 से नियमित आधार पर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित बीमा कंपनियों द्वारा खोले गए कार्यालयों और इनमें से प्रत्येक कार्यालय में जनशक्ति (मैनपावर) की तैनाती से संबंधित जानकारी संकलित कर रहा है। राज्य-वार/जिला-वार/ब्लॉक-वार कार्यात्मक कार्यालयों का विवरण और बीमा कंपनियों की जनशक्ति (मैनपावर) जिसमें इन कंपनियों को कारोबार आवंटित किया गया है, नीचे दी गई हैं:

पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने वाले कार्यालयों और जनशक्ति (मैनपावर) का ब्यौरा							
क्र. सं	**आबंटित राज्य**	**आवंटित जिलों की संख्या**	**जिला स्तर पर कार्यात्मक कार्यालय**	**जिला स्तर पर तैनात जनशक्ति (मैनपावर)**	**ब्लॉक**	**ब्लॉक स्तर पर कार्यात्मक कार्यालय**	**ब्लॉक स्तर पर तैनात जनशक्ति (मैनपावर)**
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी)							
1	असम	15	15	15	89	8	8
2	छत्तीसगढ़	20	20	20	109	109	109
3	हरियाणा	7	7	7	37	37	37
4	हिमाचल प्रदेश	11	1	8	78	29	26
5	कर्नाटक	6	3	3	40	40	40
6	केरल	14	0	26	77	77	51
7	मध्य प्रदेश	40	40	40	255	255	255
8	महाराष्ट्र	2	3	7	92	9	140
9	ओडिशा	9	9	9	100	100	100
10	राजस्थान	7	19	26	57	57	60
11	तमिलनाडु	32	31	31	258	188	193
12	उत्तर प्रदेश	37	37	37	169	169	171
13	उत्तराखंड	13	13	13	27	27	27
	कुल	**213**	**198**	**242**	**1388**	**100T**	**1217**

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	छत्तीसगढ़	8	8	6	41	40	41
2	हरियाणा	8	0	8	44	0	50
3	कर्नाटक	6	5	5	40	5	40
4	महाराष्ट्र	1	1	1	8	8	8
5	राजस्थान	4	0	4	42	0	50
	कुल	**27**	**14**	**24**	**175**	**53**	**189**
भारती एक्सा/आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	कर्नाटक	3	3	5	15	15	15
2	महाराष्ट्र	3	3	9	16	16	82
	कुल	**6**	**6**	**14**	**31**	**31**	**97**
फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	असम	3	3	7	17	17	15
2	गोवा	2	2	2	0	2	0
3	कर्नाटक	6	6	7	41	41	40
4	राजस्थान	3	3	7	31	31	34
	कुल	**14**	**14**	**23**	**89**	**91**	**89**
एचडीएफसी-एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	असम	7	7	10	56	56	53
2	हिमाचल प्रदेश	4	4	4	29	29	29
3	कर्नाटक	5	5	33	35	32	5
4	मध्य प्रदेश	10	10	10	63	63	67
5	महाराष्ट्र	20	20	25	107	107	125
6	ओडिशा	9	9	12	92	92	92
7	राजस्थान	3	3	5	21	21	26
8	त्रिपुरा	8	8	9	56	56	56
9	उत्तर प्रदेश	8	8	8	36	36	38

	कुल	**74**	**74**	**116**	**495**	**492**	**491**
इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	हिमाचल	4	4	4	8	1	5
2	जम्मू और कश्मीर	1	1	1	4	4	7
3	महाराष्ट्र	7	7	7	82	82	80
4	तमिलनाडु	19	19	14	46	46	46
5	उत्तर प्रदेश	11	11	11	101	101	91
	कुल	**42**	**42**	**37**	**94**	**234**	**229**
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	सिक्किम	4	1	1	16	1	0
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	1	8	1	0
3	पुडुचेरी	3	3	1	7	4	0
	कुल	**10**	**5**	**3**	**31**	**6**	**0**
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	असम	6	6	5	35	35	35
2	हरियाणा	8	8	11	48	48	48
3	जम्मू और कश्मीर	3	3	3	42	42	40
4	मध्य प्रदेश	2	2	4	13	13	11
5	महाराष्ट्र	19	19	22	190	190	212
6	ओडिशा	12	12	12	125	125	121
7	राजस्थान	6	6	11	74	74	73
	कुल	**56**	**56**	**68**	**527**	**527**	**540**
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	असम	2	0	3	16	0	17
2	हिमाचल प्रदेश	9	2	9	47	0	0
3	कर्नाटक	13	13	13	100	0	0
4	राजस्थान	9	9	11	86	86	153

5	उत्तरखंड	10	1	19	97	0	7
	कुल	**43**	**25**	**55**	**346**	**86**	**177**
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड							
1	कर्नाटक	9	9	9	67	0	65
2	राजस्थान	3	3	3	26	26	25
3	उत्तर प्रदेश	23	24	42	292	0	248
	कुल	**35**	**36**	**54**	**385**	**26**	**338**
	कुल योग	**520**	**470**	**636**	**3561**	**2651**	**3367**

इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों को पीएमएफबीवाई कार्यान्वयन में शामिल राज्य और जिला स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ इस जानकारी को साझा करने का भी निर्देश दिया है। योजना का कार्यान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों को कार्यालयों की जानकारी एनसीआईपी पर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।

योजना को सुचारू कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, इस विभाग ने 27 मई 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जो जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना का कार्यान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों की समर्पित अवसंरचना (कार्यालयों) और जनशक्ति (मैनपावर) की तैनाती और किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्र स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का स्तर और उचित स्थापना और कार्यक्षमता के संबंध में है।

इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने राष्ट्रीय टीएसयू (पीएमएफबीवाई) की क्षमता निर्माण टीम के माध्यम से 14 बैचों में बीमा कंपनियों द्वारा तैनात जनशक्ति (मैनपावर) का कठोर प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें खरीफ 2021 में जिला और ब्लॉक स्तर के 2510 से अधिक क्षेत्रीय कार्मिकों ने भाग लिया। रबी 2021-22 मौसम के दौरान भी इसी प्रकार के अभ्यास आयोजित किए गए। उपरोक्त के अतिरिक्त, अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किसानों को योजनाओं के प्रावधानों और लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर फसल बीमा पाठशाला का भी आयोजन किया जा रहा है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाना</u>

सिफारिश क्रम संख्या 6

विभाग ने समिति को सूचित किया है कि उसने कुछ बीमा कंपनियों (आईसी) पर दंड लगाया है और चूककर्ता बीमा कंपनियों को रबी 2017-18 मौसम से संबंधित 22, 17, 38, 725 रु. का दंड चुकाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त,चूंकि सभी आंकड़े संबंधित राज्यों के पास उपलब्ध हैं इसलिए राज्य सरकार आंकड़े केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है और फिर उपरोक्त आंकड़ों की जांच की जाती है और दंड लगाया गया है। इसलिए, जुर्माने की गणना और इसके भुगतान में समय को कम करने के लिए राज्य सरकारों को बीमा कंपनियों के साथ जुर्माने की गणना करने और उसका निपटारा करने और भारत सरकार के साथ निर्धारित प्रारूप में विवरण साझा करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त,राज्यों को लंबित दावों की राशि के साथ-साथ प्रभावित किसानों को संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटारे में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।समिति की यह सुविचारित राय है कि चूक करने वाले आईसी के विरूद्ध कार्रवाई करने में प्रक्रियात्मक पहलू के कारण विलंब से समस्त प्रक्रिया निष्फल हो जाती है अत: समिति सिफारिश करती है कि विभाग चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंड की पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी हो।

सरकार का उत्तर

चूंकि उपज डेटा प्रस्तुत करने, प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान और दावों के निपटान की तारीख से संबंधित सभी डेटा संबंधित राज्यों के पास उपलब्ध हैं, इसलिए, जुर्माना लगाने में देरी से बचने के लिए और जुर्माना की गणना और भुगतान में समय को कम करने के लिए दावों का देर से निपटान, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे स्वयं बीमा कंपनियों के साथ जुर्माने की गणना और निपटान करें और सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को जुर्माने के निपटान का विवरण प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, राज्यों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे लंबित दावों की राशि के साथ-साथ प्रभावित किसानों को संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करें।

तदनुसार, राज्य सरकारों से दिनांक 22 अगस्त, 2019 के पत्रों और 16 सितंबर, 2019, 30 जून 2020, 7 अगस्त, 2020, 2 नवंबर, 2020 के अनुस्मारकों के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनियों पर दावों के देर से निपटान के लिए जुर्माना, यदि कोई हो, लगाने का अनुरोध किया गया है।

तथापि, बीमा कंपनियों द्वारा पात्र बीमित किसानों के दावों के निपटान में देरी का प्रमुख कारण संबंधित राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम में हिस्सा देर से जारी करना है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

सिफारिश क्रम संख्या 10

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि जब इन समितियों द्वारा निपटायी गई शिकायतों के ब्योरे के बारे में पूछा गया तो विभाग ने कहा कि ''इन समितियों द्वारा निपटायी गई शिकायतों के प्रकारों से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं है।''समिति इस उत्तर से निराश है और पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग इन शिकायत निवारण समितियों द्वारा निपटायी गई शिकायतों के प्रकारों के बारे में रिकार्ड/आकड़े रखें क्योंकि इससे न केवल इन समितियों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलेगी बल्कि कमियों को समझने और योजना के कार्यान्वयन में बाद में सुधार/संशोधन करने में मदद मिलेगी। समिति की यह भी राय है कि विभाग पीएमएफबीवाई के संबंध में पूछे गए प्रश्नों, किसानों द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी आदि उपलब्ध कराने के लिए 3-4 अंकों का एक टोल फ्री नंबर प्रदान करे। समिति ने आगे यह इच्छा व्यक्त की है कि इस टोल फ्री नंबर को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया जाए और साथ ही यह सुनिश्चत किया जाए कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कार्यान्वित करने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजना ब्लॉक स्तर/जिला स्तर/राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को सूचित करे के संशोधित/ प्रचालन दिशानिर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार शिकायतों का

निपटान करें। चूंकि राज्य स्तर पर मामले की जांच और निपटारा किया जाता है, लंबित और निपटाए गई शिकायतों से संबंधित सभी जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के पास रहती है। राज्य/जिलों से शिकायतों, उनकी स्थिति और निपटान आदि की जानकारी को एकीकृत करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।

प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग स्तर पर किसान कॉल सेंटर (1551) के चार अंकों का टोल-फ्री नंबर है, ताकि पीएमएफबीवाई से संबंधित प्रश्नों/शंकाओं के लिए केवल चार अंकों के टोल फ्री नंबर याद करके फसल बीमा सहित कृषि से संबंधित सभी समाधानों का हल पा सके। पीएमएफबीवाई से संबंधित प्रश्नों का उत्तर किसान कॉल सेंटर के समर्पित टेली-एक्जीक्यूटिव द्वारा भी दिया जाता है। सरकार भी नियमित रूप से अपने विज्ञापनों में इस नंबर का विज्ञापन कर रही है। बीमा कंपनियों को भी अपने विज्ञापनों में इस नंबर का प्रचार करने की सलाह दी गई है। यह विभाग पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय टीएसयू की क्षमता निर्माण टीम के माध्यम से हर साल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में किसान कॉल सेंटर के टेली-एक्जीक्यूटिव और पर्यवेक्षकों का नियमित प्रशिक्षण आयोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, खरीफ और रबी दोनों मौसमों में यादृच्छिक (रैंडम) सत्यापन करके इस विभाग द्वारा कार्यान्वित बीमा कंपनियों के टोल-फ्री नंबरों की कार्यक्षमता की भी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा बीमा कंपनियों के टेली एक्जीक्यूटिव के प्रशिक्षण के साथ-साथ बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर के बारे में भी प्रचार किया जाता है।

इस योजना को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति नामत: दिशा की बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों अर्थात सांसदों, विधायकों आदि की निगरानी के लिए भी शामिल गया है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप</u>

सिफारिश क्रम संख्या 11

समिति नोट करती है कि दावों के निपटारे में देरी/निपटारा न किए जाने का एक प्रमुख कारण बीमा कंपनियों और राज्य के बीच उपज संबंधी विवाद और उपज संबंधी आंकड़े प्रदान

करने में देरी है। स्वीकार्य दावों की गणना के लिए उपज आंकड़े संबंधित राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो अत्यधिक समय लगाने वाले और श्रम आधारित हैं और इस प्रकार अवसंरचना की कमी, निधियों की कमी, अल्प फसल कटाई समयावधि, समय अंतराल/मौसम में बदलाव संबंधी कारण आदि राज्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।समिति यह भी नोट करती है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रौद्योगिकीय सहायता को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के लिए उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से स्मार्टनमूना तकनीक के उपयोग से कार्यान्वयन में वृद्धि दक्षता देखी गई है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग तकनीकी हस्तक्षेप जैसे उपग्रह आंकड़ो के माध्यम से स्मार्ट सैपलिंग तकनीक के उपयोग, ड्रोन के उपयोग आदि को फसल कटाई प्रयोगों के लिए विस्तारित और सार्वभौमिक बनाए जिससे न केवल कार्यान्वयन में दक्षता बढ़ेगी बल्कि पारदर्शिता और कम मानवीय हस्तक्षेप भी सुनिश्चित होगा, जिससे सभी हितधारकों और मुख्य रूप से किसानों की संतुष्टि होगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग राज्य सरकारों के साथ समन्वय करे और उन पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ भूमि रिकार्ड को एकीकृत करने के लिए बल दे।

सरकार का उत्तर

पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। किसानों सहित हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर स्तरीकृत शिकायत निवारण समितियों के लिए तथा दावों के समय पर निपटान के लिए राज्यों और बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच विवादों के समाधान के लिए विस्तृत एसओपी भी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करते हुए फसल उपज/फसल नुकसानों के सटीक और समय पर आकलन के लिए कई तकनीकी हस्तक्षेपों को भी अपनाया/प्रयोग किया जा रहा है:

- स्मार्ट नमूनाकरण कार्यान्वयन और सीसीई का अनुकूलन
- ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रायोगिक अध्ययन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए फसल पायलट उपज अनुमान

- जीपी स्तर के पायलट अध्ययन का सत्यापन
- गैर अनाज फसल के लिए ईओआई-जीपी स्तर फसल उपज अनुमान
- डेटा का मूल्यांकन और खरीफ 2019 पायलट अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट
- उपग्रह डेटा उपयोग, उपज गुणवत्ता जांच, स्मार्ट नमूनाकरण, उपज विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान आदि के लिए एसओपी तैयार करना।
- गांवों/क्षेत्र स्तरीय फसल उपज अनुमान के लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध दृष्टिकोणों का अध्ययन

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा की रिपोर्टिंग हेतु सीसीई एग्री ऐप के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जियो-कोडेड और टाइम स्टैम्प्ड डेटा विकसित किया गया है। भारत सरकार स्मार्टफोन की खरीद लागत के 50% के साथ एनसीआईपी पर सीसीई डेटा की रिपोर्टिंग हेतु इंटरनेट डेटा शुल्क प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को कार्यान्वित कर रही हैं जो फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) के वृद्धिशील खर्चों के 50% प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

देश के बड़े क्षेत्रों में और पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से पूर्वोक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए समय-सीमा भी तैयार की गई है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>स्कीम का प्रचार-प्रसार और जागरूकता</u>

सिफारिश क्रम संख्या 12

समिति नोट करती है कि पीएमएफबीवाई सभी किसानों के लिए उपलब्ध है तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और किसानों दोनों के लिए 'स्वैच्छिक' प्रकृति का है। पीएमएफबीवाई के तहत किसानों का दायरा बढ़ाने के लिए पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों में किसानों में जागरूकता पैदान करने का प्रावधान है। सरकार ने फसल बीमा योजनाओं के बारे में किसानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान/जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए सभी हितधारकों विशेषकर राज्यों और कार्यान्वयन बीमा कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सहित कई पहल की हैं। समिति आगे नोट करती है कि प्रचार और जागरूकता

के लिए प्रति कंपनी प्रति मौसम सकल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रचार, जागरूकता आदि पर सकल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत व्यय का ब्यौरा नियमित रूप से पैनल में शामिल आईसी से प्राप्त किया जा रहा है। योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत बीमा कंपनियों को केंद्रीय आईईसी पूल फंड के तहत अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, वापस करनी होगी। इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से आईईसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए गठित आईईसी सलाहकार समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

अत: समिति सिफारिश करती है कि विभाग प्रचार और जागरूकता के लिए प्रति कंपनी प्रति मौसम सकल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत के व्यय को सुनिश्चत करे/की निगरानी करे जिसका प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि किसानों विशेषकर पीएमएफबीवाई के तहत लघु और सीमांत किसानों का कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके। समिति विभाग से यह सिफारिश भी करती है कि वह अव्ययित शेष राशि/यदि कोई हो, को केंद्रीय आईईसी पूल फंड में अंतरण को सुनिश्चित करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पीएमएफबीवाई के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देश आईईसी क्रियाकलापों पर बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए सकल प्रीमियम का 0.5% आवंटन प्रदान करते हैं तथा संबंधित ब्यौरा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक मौसम के अंत में इसे केंद्र/राज्य सरकार को संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पीएमएफबीवाई के लिए एक समान एवं केंद्रीकृत संचार क्रियाकलापों के प्रावधान को और सुदृढ़ किया गया है। अब बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग किए जा रहे 0.25% के अव्ययित शेष के साथ सकल प्रीमियम के 0.25% को केंद्रीय आईईसी फंड में जमा किया जाना आवश्यक है। सरकार और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा केंद्रीय निधि का रखरखाव और उपयोग किया जाता है।

रबी 2018-19, खरीफ 2019, रबी 2019-20, खरीफ 2020, रबी 2020-21 और खरीफ 2021 मौसम के सकल प्रीमियम के 0.5% के समग्र व्यय की समीक्षा 03 दिसंबर 2021 को एनसीआईपी पोर्टल पर अपडेट के अनुसार की गई है ताकि पिछले मौसम के लिए अव्ययित शेष की स्थिति और केंद्रीय स्तर पर खरीफ 2021 के लिए सकल प्रीमियम के 0.25% की अनिवार्य पूलिंग की पहचान की जा सके।

केंद्रीय आईईसी सलाहकार समिति द्वारा डिजिटल गेटवे के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय में आईईसी क्रियाकलापों की व्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। बीमा कंपनियों द्वारा संचालित व्यवहार परिवर्तन संचार क्रियाकलापों की निगरानी निरंतर और वास्तविक समय के आधार पर की जा रही है। प्रत्येक बीमा कंपनी का गहन मूल्यांकन उनकी विभिन्न जागरूकता क्रियाकलापों और उनके प्रभाव के आधार पर किया जा रहा है।

75 आकांक्षी/जनजातीय जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ अधिसूचित पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन करने वाले सभी जिलों/क्षेत्रों में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खरीफ 2021 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक सुव्यवस्थित जमीनी सक्रियता अभियान क्राप इंश्योरेंश वीक/फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य फोकस किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाना है, जिससे उन्हें विशेष रूप से चिन्हित आकांक्षी/जनजातीय जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ फसल बीमा के लाभों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रावधानों और लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए ग्राम स्तर पर 'फसल बीमा पाठशाला' भी आयोजित की जा रही है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>प्रशासनिक व्यय का उपयोग</u>

सिफारिश क्रम संख्या 14

समिति नोट करती हे कि खरीफ 2020 मौसम से प्रभावी इस योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत इस योजना के अतंर्गत बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अवसंरचना और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासनिक व्यय को 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें अपने बजट प्रावधान करेंगी और अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय मानदंडों के अनुसार उनका उपयोग करेंगी। तथापि, केंद्र सरकार ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) के माध्यम से उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरूआत की है। इन अध्ययनों के आधार पर सटीकता के साथ सांख्यिकीय रूप से अनुमोदित/स्वीकृत माडल अपनाए जाएंग।समिति का मानना है कि वांछित

परिणाम प्राप्त करने के लिए आवंटित राशि के समुचित उपयोग हेतु नियमित निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए, समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह नियमित आधार पर आवंटित राशि के उपयोग की निगरानी करे ताकि किसानों की बेहतर संतुष्टि के लिए योजना के तहत बेहतर सेवा प्रदान करना सुनिश्चत करने हेतु बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

सरकार योजना के तहत बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जैसा कि पहले बताया गया है, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें अपने स्वयं के बजट प्रावधान बनाती हैं और अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय मानदंडों के अनुसार उनका उपयोग करती हैं।

सरकार ने पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत फसल बीमा कार्यक्रम के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाओं के वेतन, घरेलू यात्रा व्यय, और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, कार्यालय व्यय आदि जैसे उप शीर्षों के तहत क्रियाकलापों के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया है।

जोखिम वर्गीकरण एवं रेटिंग, नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास, नुकसान मूल्यांकन, प्रविधि, कानूनी कार्य, एनसीआईपी के माध्यम से नवाचार/प्रतिकृति, योजनाओं के प्रशासन का डिजिटलीकरण आदि सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ कार्यशाला/ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्र स्तर पर एक तकनीकी सहायता इकाई (एनटीएसयू)/कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।

प्रक्रियाओं एवं सूचना डेटा बैंक के डिजिटलीकरण और प्रसार तंत्र, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन, कई स्रोतों में सूचना और प्रणालियों के एकीकरण, सूचना सत्यापन और प्रीमियम एवं दावा गणना और प्रेषण आदि के लिए एकल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम मंच प्रदान करने के लिए एनसीआईपी को और बढ़ाया जा रहा है।

सरकार सीसीई के वृद्धिशील व्यय और स्मार्ट फोन/उन्नत प्रौद्योगिकी की 50 प्रतिशत लागत की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

सरकार प्रायोगिक कार्यों के निष्पादन के लिए एमएनसीएफसी द्वारा चयनित एजेंसियों के अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एमएनसीएफसी के माध्यम से उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए शुरू किए गए विभिन्न पायलट अध्ययनों की प्रगति समीक्षा बैठकों/चर्चाओं के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी करती है।

भारत सरकार योजना के प्रभावी और सेवा प्रदान करना कुशल संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक बजटीय प्रावधान करती है तथा योजना के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करती है। इसके अतिरिक्त सरकार नियमित रूप से ऐसे व्यय के उपयोग की निगरानी करती है ताकि सामान्य वित्तीय नियमाे ं का अनुपालन करते हुए निधियों का सर्वोत्तम अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

अध्याय -तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे नहीं करना चाहती

सीएसआर निधियों का उपयोग

सिफारिश क्रम संख्या 13

समिति को सूचित किया गया है कि वर्तमान पीएमएफबीवाई में ऐसा काई प्रावधान नहीं है कि पीएमएफबीवाई को लागू करने वाली बीमा कंपनियों को उन जिलों में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के रूप में अपने लाभ का हिस्सा खर्च करना होगा जहां से लाभ अर्जित किया गया है। समिति की यह सुविचारित राय है कि राज्य/जिले में पीएमएफबीवाई से पैनलबद्ध बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ के हिस्से से सीएसआर निधियों का उपयोग संबंधित राज्य/जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाए।इसलिए, समिति विभाग को सलाह देती है कि वह बीमा कंपनियों द्वारा जिस राज्य/जिले से लाभ अर्जित किया गया है, में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत लाभ के हिस्से के उपयोग के लिए पीएमएफबीवाई के तहत ऐसे प्रावधान शामिल करें।

सरकार का उत्तर

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित है, जिसमें कंपनी की सीएसआर पात्रता का आकलन करने, उनकी सीएसआर नीतियों के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग आदि के लिए मानदंड प्रदान किए गए हैं। उक्त अधिनियम/नियमावली में यह प्रावधान है कि कंपनियों को सीएसआर के लिए पीएमएफबीवाई, मोटर बीमा, अग्नि बीमा आदि जैसे व्यवसाय की अपनी विशिष्ट शाखा से लाभ का उपयोग करने के लिए कहें। बीमा कंपनियां सीएसआर नियमों के अनुसार अपने समग्र लाभ से सीएसआर क्रियाकलाप कर रही हैं।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

अध्याय -चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

बीमा कंपनियों का निष्पादन मूल्यांकन

सिफारिश क्रम संख्या 5

समिति नोट करती है कि पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन का प्रावधान है,जैसे कि एल-1 होने के बाद बोलियों को वापिस लेना,ऋणि और गैर ऋणि किसानों का नामांकन,निर्धारित अवधि के भीतर दावों का निपटान,जिला कार्यालय और मानव संसाधन,बोली भागीदारी,पुस्तिका तैयार करना,प्रशिक्षण,कार्यशाला आदि,सीसीई सह-पालन,स्थानीयकृत नुकसान/फसल कटाई के बाद का दावा आदि। समिति को सूचित किया गया है कि विभाग पैनल में शामिल बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। इस संबंध में,संबंधित मौसम के पूरा होने के बाद आईसी के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्र की जा रही है। यह भी सूचित किया गया है कि विशेष रूप से जमीनी स्तर पर जनशक्ति (मैनपावर)/अवसंरचना की तैनाती और दावों के भुगतान में विलंब के संबंध में कुछ कमियां पाई गई हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा गया है/कार्यवाही शुरू की गई है।समिति को यह अजीब लगता है कि आईसी के निष्पादन मूल्यांकन के प्रावधान के बावजूद, विभाग इस योजना की शुरूआत के बाद से किए गए मूल्यांकन का विशिष्ट ब्यौरा प्रदान करने में विफल रहा। समिति की इच्छा है कि विभाग एक समय सीमा तैयार करे और नियमित आधार पर बीमा कंपनियों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन करे और इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

कंपनी के कौशल का पता लगाने, किसानों को लागत प्रभावी और कुशल बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता और दक्षता के माध्यम से कम से कम दो फसल मौसमों अर्थात खरीफ और रबी सहित प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल के पूरा होने पर योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के संबंधित नोडल विभाग द्वारा आईसी की कड़ी निगरानी की जानी है। इस प्रयोजन के लिए, एक विस्तृत निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स तैयार किया गया है जिसमें निर्धारित भारांक के साथ

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं और जैसा कि प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुबंध-IV में दिया गया है। मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला आधार डेटा एनसीआईपी से निकाला जा सकता है। नोडल विभाग को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी के साथ उनकी टिप्पणियों और पुष्टि के लिए साझा करनी होती है। प्रत्येक बीमा कंपनी को अपने विचार प्रस्तुत करने और वैध डेटा/प्रमाणों के साथ अपनी टिप्पणियों को प्रमाणित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। नोडल विभाग बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे अतिरिक्त डेटा/प्रमाणों का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है और केंद्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, मंत्रालय द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के साथ-साथ राज्य के नोडल विभाग द्वारा भी इसी तरह की कार्रवाई की जानी है।

इस संबंध में किसी भी राज्य से वर्ष 2020-21 की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य को पत्र लिख रहा है।

तथापि, संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत कुछ कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और इनमें से अधिकांश कंपनियों ने आने वाले वर्षों में बोली में भागीदारी जारी रखने का आश्वासन दिया है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्यायएक का पैरा सं.1.7 देखें।

<u>किसानों को शामिल किया जाना</u>

सिफारिश क्रम संख्या 7

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सरकार ने खरीफ 2020से सभी किसानों (ऋणी/गैर ऋणी) के लिए योजना को वैकल्पिक बना दिया है। किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा का लाभ उठाने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान बीमा कंपनी के निकटतम बैंक-शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/सीएससी/बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं या सीधे अंतिम तिथि के भीतर एनसीआईपी पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं और साथ ही एजेंसी को आवश्यक दस्तावेज और संबंधित उपयुक्त प्रीमियम अपलोड/जमा कर सकते हैं। जबकि, मौजूदा ऋणी किसान जो योजना के तहत कवर नहीं होना चाहते हैं, उनके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय संबंधित मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक शाखाओं को अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करके योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प है। उन सभी ऋणी किसानों, जो घोषणा प्रस्तुत नहीं करते हैं, अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। समिति की यह सुविचारित राय है कि हालांकि ऋणी किसान घोषणा पत्र जमा करके योजना से बाहर निकल सकते हैं लेकिन अधिकांश किसान इस प्रावधान के बारे में अनभिज्ञ हैं और राशि उनके खाते से अनिवार्य रूप से काट ली जाती है। इसलिए समिति विभाग से इस प्रावधान में बदलाव करने की सिफारिश करती है और यह शर्त निर्धारित करती है कि केवल उन्हीं ऋणी किसानों को कटौती के लिए अपेक्षित प्रपत्र भरना आवश्यक होगा जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ऋणी किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही समिति की राय है कि कवर किए गए किसानों को उनके पंजीकरण, प्रीमियम की कटौती आदि के बारे में उन्हें प्रत्येक चरण के बारे में सूचित करने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से चरणवार अपडेट प्राप्त करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराया जाए। समिति को इससंबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

उपरोक्त प्रावधान विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान प्रशासनिक चुनौती को देखते हुए किया गया है। किसानों को इस प्रावधान के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से

प्रचार और जागरूकता अभियान सहित गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोडेड पावती रसीद जिसमें बीमित फसलों, क्षेत्र, बीमित राशि, एकत्रित प्रीमियम, योजना की संक्षिप्त विशेषताओं के साथ सब्सिडी राशि और बीमा कंपनियों/शिकायत निवारण अधिकारी आदि के संपर्क विवरण आदि का ब्यौरा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से या सीधे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) - www.pmfby.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किसानों को तत्स्थान उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों के माध्यम से नामांकित किसानों को आगे सुपुर्दगी के लिए बैंकों को उनके लॉग इन पेज पर पीडीएफ प्रारूप में पावती रसीद प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत ऋणी किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा अंतर्देशीय पत्र के रूप में पावती रसीद भी पोस्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को किसान पोर्टल/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से एसएमएस द्वारा भी सूचित किया जाता है। बीमित किसान अपने आवेदन की स्थिति को एनसीआईपी और मोबाइल आधारित फसल बीमा ऐप पर भी ट्रैक कर सकते हैं।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्यायएक कापैरा सं.1.10 देखें।

<u>दावों के निपटान में देरी</u>

सिफारिश क्रम संख्या 8

समिति ने नोट किया कि पीएमएफबीवाई के सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा दावों के निपटारे में देरी है। समिति को सूचित किया गया है कि दावों के निपटारे में देरी मुख्य रूप से उपज आंकड़ों के विलंब से भेतने हस्तातंरण कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना और/या उपज डेटा देर से जारी करना, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, दावों के हस्तांतरण के लिए कुछ किसानों के खाते संबंधी ब्यौरे प्राप्त न होना और राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दे आदि जैसे कारणों से होती हैं। इसके अतिरिक्त, दावों के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के 10 दिनों से अधिक के दावों के निपटान में देरी के लिए बीमा कंपनी द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 12% ब्याज दर का

जुर्माना देने का प्रावधान है। जबकि, राज्य सरकार को बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि/मांग पत्र प्रस्तुत करने के तीन महीने से अधिक समय के लिए राज्य के सब्सिडी के हिस्से को जारी करने में देरी के लिए 12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा। हालांकि विभाग नियमित रूप से दावों का समय पर निपटारा करने सहित पीएमएफबीवाई के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। समिति विभाग द्वारा विलंब के बताए गए कारणों से आश्वस्त नहीं है और उनका मानना है कि दावों के निपटारे में देरी के कारण,चाहे जो भी हों,उनसे देश के किसानों को अंतत: नुकसान उठाना पड़ता है। किसान पीएमएफबीवाई के तहत बीमा योजना का लाभ इस उम्मीद के साथ लेते हैं कि इससे संकट के समय नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन दावों के निपटारे में देरी से इस योजना का उद्देश्य विफल हो जाना है। समिति का मानना है कि दावों के निपटारे में देरी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसलिए विभाग से इस योजना को और अधिक प्रौद्योगिकी चालित बनाने और यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश करती है कि सभी संस्थागत तंत्र मिलकर काम करें ताकि किसानों का पंजीकरण,सीसीई का संचालन,दावों का निपटारा आदि परेशानी से मुक्त और किसान हितैषी बन सकें। किसी भी समय-सीमा के अभाव में,जिसके भीतर बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटारा किया जाना है,किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया जाता है और लंबी अदालती प्रक्रियाएं उनकी परेशानियों को बढ़ाती हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि बीमा कंपनियों के दावों का निपटारा करने के लिए एक समय सीमा तय की जाए और समय सीमा का पालन न करने की स्थिति में बीमा कंपनियों को दंडित किया जाए। समिति आगे सिफारिश करती है कि जब विलंब का कारण राज्य द्वारा सब्सिडी का भुगतान न करना है, तो किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को एक निश्चित समय सीमा के भीतर ब्याज के साथ लौटाया जाए। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए समग्र उपयों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालन दिशानिर्देशों में पहले से दी गई समय-सीमा के अनुसारस्वीकार्य दावों का भुगतान सामान्य रूप से संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के दो महीने के भीतर और संरक्षित बुवाई, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और फसल कटाई के बाद के नुकसान के जोखिम/खतरों के संबंध में अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया

जाता है जो संबंधित राज्य सरकार से प्रीमियम राजसहायता के राज्य हिस्से की समय पर प्राप्ति के अध्यधीन है।हालांकि, कुछ राज्यों में दावों के निपटान में निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है:–

- संबंधित राज्यों द्वारा राजसहायता का राज्य हिस्सा जारी करने में देरी
- दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों को उपज डेटा साझा करने में देरी
- एनईएफटी अस्वीकृति के कारण भुगतान विफलता सहित अन्य कारण
- दावा प्रक्रियाधीन

राजसहायता के राज्य हिस्से को जारी करने में देरी के कारण लंबित दावों का राज्यवार ब्यौरा *(खरीफ 2016 से रबी 2020-21 तक)* नीचे प्रस्तुत किया गया है –

करोड़ रुपये

राज्य	**राज्य की ओर से लंबित राजसहायता**	**राज्य की ओर से लंबित राजसहायता के कारण लंबित दावे**
महाराष्ट्र	1,291.6	694.6
तमिलनाडु	914.2	115.0
गुजरात	859.5	258.8
तेलंगाना	468.5	951.2
झारखंड	362.5	659.4
अन्य	705.56	329.1
कुल	**4601.86**	**3008.1**

दिनांक 27.12.2021 की स्थिति के अनुसार

दावों की शीघ्रातिशीघ्र गणना के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता का राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना और उपज डेटा/फसल नुकसान आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- दावों की गणना के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता का राज्य हिस्सा समय पर जारी करना और उपज डेटा/फसल नुकसान आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना:
- राजसहायता के राज्य हिस्से को जारी करने में देरी के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से दंड का प्रावधान करना। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद अर्थात खरीफ मौसम के लिए मार्च के अंत में और रबी

मौसम के लिए अक्टूबर में नामांकन करने हेतु राजसहायता जारी करने में देरी के मामले में राज्यों को योजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान करना।

- राज्यों द्वारा उपज डेटा उपलब्ध कराने में देरी के मामले में प्रौद्योगिकी आधारित उपज प्राप्त होने पर दावों का निपटान करना।
- उपज डेटा प्राप्त होने के एक महीने के बाद बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में देरी के लिए 12% की दर से दंड का भुगतान करने का प्रावधान करना।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और राज्यों को इसे अपनाने के लिए वित्तीय सहायता करना।
- सभी हितधारकों और गतिविधियों को आईसीटी मंच में एकीकृत करके योजनाओं के समग्र प्रशासन के लिए फसल बीमा पोर्टल।
- पोर्टल पर सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के डेटा का तत्काल हस्तांतरण करना। स्मार्टफोन का उपयोग करके सीसीई डेटा के हस्तांतरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्यायदो कापैरा सं.1.13 देखें।

<u>शिकायत निवारण समितियां</u>

सिफारिश क्रम संख्या 9

समिति ने नोट किया है कि योजना के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) जैसे स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र का किसानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, जिला प्राधिकरण/विभाग की शिकायतों के निवारण के लिए रबी 2018-19सीजन से प्रावधान किया गया है और इसे संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में और सशक्त किया गया है। तदनुसार15राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्यों में जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को अधिसूचित किया है। तथापि, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने जमीनी स्तर पर शिकायतों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़

करने के लिए एसजीआरसी और डीजीआरसी के अतिरिक्त तालुक स्तर की जीआरसी भी तैयार की है। समिति ने यह भी नोट किया डीजीआरसी के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर होते हैं और किसानों के प्रतिनिधि, लीड जिला प्रबंधक (एलडीएम)/बैंक, जिला विकास प्राधिकरण (डीडीएम), नाबार्ड, बीमा कंपनी और संबंधित जिला प्राधिकरण/विभाग (जैसे कृषि/बागवानी/सहकारी/राजस्व/कृषि सांख्यिक, आदि) को सदस्य नियुक्त किया जाता है। डीजीआरसी यदि आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय/आईएमडी/कमोडिटी बोर्डों/अनुसंधान संस्थानों, एसआरएसएसी, आदि के विषय विशेषज्ञों/विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकता है।इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के खंडों के अनुपालन में शेष सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों के गठन को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे ताकि उनके बीमा दावों की अस्वीकृती, भुगतान में देरी आदि के संबंध में किसानों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह संबंधित हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और किसानों के बीच योजना की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) में स्थानीय जनप्रतिधियों (एमपी/विधायक आदि) को मनोनीत करे।

सरकार का उत्तर

किसानों और अन्य हितधारकों के बीच पीएमएफबीवाई द्वारा अपनाए गए स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। तदनुसार, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिकायत निवारण समितियों के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसमें शिकायत निवारण समितियों की प्रकृति, तथा उसके पदाधिकारियों की भूमिका और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें शिकायतों के निपटान के लिए समय- सीमा निर्दिष्ट की गई है। लगभग 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य और जिला स्तर पर शिकायत/ निवारण समितियों का गठन किया है और अधिसूचना जारी की है। शेष कार्यान्वयक राज्यों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जीआरसी के गठन की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसजीआरसी	डीजीआरसी
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	नहीं

3.	अरुणाचल प्रदेश	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
4.	असम	हां	हां
5.	बिहार	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
6.	चंडीगढ़	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
7.	छत्तीसगढ़	हां	हां
8.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
9.	दिल्ली	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
10.	गोवा	हां	नहीं
11.	गुजरात	हां	हां
12.	हरियाणा	हां	हां
13.	हिमाचल प्रदेश	हां	कुछ जिलों में गठन किया गया है
14.	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	नहीं
15.	झारखंड	हां	हां
16.	कर्नाटक	हां	हां
17.	केरल	हां	नहीं
18.	लद्दाख	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
19.	लक्षद्वीप	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
20.	मध्य प्रदेश	हां	हां
21.	महाराष्ट्र	हां	हां
22.	मणिपुर	नहीं	नहीं
23.	मेघालय	हां	हां
24.	मिजोरम	नहीं	नहीं
25.	नागालैंड	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
26.	ओडिशा	हां	हां
27.	पंजाब	योजना को लागू नहीं कर रहा है	
28.	पुदुचेरी	नहीं	हां
29.	राजस्थान	हां	हां
30	सिक्किम	नहीं	नहीं

31.	तमिलनाडु	हां	हां
32.	तेलंगाना	हां	हां
33.	त्रिपुरा	हां	हां
34.	उत्तराखंड	हां	हां
35.	उत्तर प्रदेश	हां	हां
36.	पश्चिम बंगाल	योजना को लागू नहीं कर रहा है	

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, निवारण के लिए लंबित परिवादों/शिकायतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वर्तमान वर्ष में समितियों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की सं.**	**राज्यस्तरीय शिकायत निवारण समिति में लंबित शिकायतों की सं.**
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	10	08
4.	गोवा	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	37454	5522
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	शून्य	शून्य
8.	केरल	शून्य	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	सटीक संख्या नहीं दी गई	4
10.	महाराष्ट्र	1	1
11.	मेघालय	शून्य	शून्य
12.	ओडिशा	78	10
13.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	1	शून्य
16.	तेलंगाना	शून्य	शून्य
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
18.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य

19.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य

जीआरसी के संबंध में अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जाती है और किसानों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए आसपास के क्षेत्र में परिचालन और प्रदर्शित की जाती है। जीआरसी अधिसूचना की प्रतियां कार्यान्वयन विभागों, बैंकों, पंचायती राज संस्थानों, सामान्य सेवा केंद्रों और बीमा कंपनियों के नोटिस बोर्डों में भी प्रदर्शित की जाती हैं। यह देखा गया है कि पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने वाले अधिकांश बड़े राज्यों में जीआरसी कार्यात्मक हैं और पीएमएफबीवाई के ओजी के अनुसार शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एक निश्चित, अनुकूलित चैनल है। किसानों के प्रतिनिधियों को पहले ही जीआरसी में शामिल किया जा चुका है।

राज्य सरकारों को इन समितियों द्वारा समाधान की गई शिकायतों के प्रकार के बारे में रिकॉर्ड डेटा/रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है।

इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) द्वारा पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाती है। दिशा की बैठकों में भी योजना की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह दिशा में शिकायत निवारण समितियों (अर्थात जिला और ब्लॉक स्तर दोनों) की प्रगति/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट॥ (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्यायएक कापैरा सं.1.16 देखें।

अध्याय –पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश क्रम संख्या 2

समिति को विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों/फसलों के लिए वैकल्पिक जोखिम उपायों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कार्य दिया गया है और प्राधिकरण से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग एनआरएए द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कार्य में तेजी लाएं करे और इस मामले में एनआरएए के अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

देश में कोविड महामारी के कारण, एनआरएएसमय पर अध्ययन को अंतिम रूप नहीं दे पाया। इसलिए, अध्ययन की पड़ताल के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक में, विशेषज्ञों ने अध्ययन के टीओआर में उल्लिखित के अतिरिक्त कई और बिंदुओं को जोड़ा, जिन्हें अधिक केंद्रित विश्लेषण की आवश्यकता थी। तदनुसार, एनआरएए द्वारा दिए गए टीओआर के तहत अध्ययन को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए दो तकनीकी उप-समूहों का गठन किया गया है। इस मामले में ड्राफ्ट रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी और प्रमुख हितधारकों के साथ रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सं. 18012/01/2020-क्रेडिट।। (एफटीएस79981), दिनांक 24.01.2022]

नई दिल्ली; **पी.सी.गद्दीगौडर**
08 अगस्त, 2022 **सभापति**
17 श्रावण, 1944 (शक) **कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति**

अनुबंध

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

समिति की तेईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक सोमवार, 08 अगस्त, 2022 को 1500 बजे से 1610 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौडर – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री मोहन मंडावी
8. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
9. श्री वीरेन्द्र सिंह

राज्य सभा

10. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	–	अपर सचिव
2.	श्री सुंदर प्रसाद दास	–	निदेशक
3.	श्री अनिल कुमार	–	उप सचिव
4.	श्री प्रेम रंजन	–	उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

(क) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) के 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन' विषय से संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई पर प्रारूप प्रतिवेदन

*(ख) XXXX XXXX XXXX XXXX

3. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के अपनाया तथा समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए सभापति को अधिकृत किया

*4. XXXX XXXX XXXX XXXX

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट

कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के उनतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(इस प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4 देखिए)

(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	14
(दो)	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: पैरा संख्या 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12 और 14	08 57.14 प्रतिशत
(तीन)	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: पैरा संख्या 13	01 07.14 प्रतिशत
(चार)	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं: पैरा संख्या 5, 7, 8 और 9	04 28.57 प्रतिशत
(पांच)	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: पैरा संख्या 2	01 07.14 प्रतिशत